संख्या-27/2016/891 ई-2/तेरह-2016-35/2013

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कानपुर नगर।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 19 मई,2016

विषय:-मेसर्स गुलाब सिंह एण्ड सन्स, गोविन्द नगर, कानपुर के रेस्टोरेन्ट मे0 गुलाब सिंह एण्ड सन्स, बार एण्ड रेस्टोरेन्ट को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-629/बैठक कार्यवृत्त/बार समिति/15-16/का0न0, दिनांक 21 सितम्बर,2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दि0 21-9-2015 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-07/दस-लाइसेंस-26/खण्ड-4/एफ0एल0-6,7/बार अनु0/कानपुरनगर, दिनांक 02 अप्रैल,2016 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त एतद्द्वारा श्री सुभाष चन्द्र चढ्डा पुत्र स्व0 गुलाब सिंह, नि0 म0नं0-125/43, ओ0 ब्लाक, गोबिन्दनगर द्वारा संचालित रेस्टोरेन्ट मे0 गुलाब सिंह एण्ड सन्स, बार एण्ड रेस्टोरन्ट के नाम से एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-27/2016/891(1) ई-2/तेरह-2016, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-07/दस-लाइसेंस-26/खण्ड-4/एफ0एल0-6,7/बार अनु0/कानपुरनगर, दिनांक 02 अप्रैल,2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।